

न्यायालय:- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड म०प्र०

प्रकरण क्रमांक 300/2013 सत्रवाद

संस्थापित दिनांक 10.12.2013

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र  
एण्डोरी जिला भिण्ड म०प्र०।

-----अभियोजन

बनाम

दीपू उर्फ राजकुमार माहौर पुत्र रामसहाय माहौर  
उम्र 25 वर्ष, निवासी ग्राम खरेटा (मडैयन) थाना  
अम्बाह जिला मुरैना म.प्र.।

.....अभियुक्त

न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद कुमारी शैलजा गुप्ता  
के न्यायालय के मूल आपराधिक प्र०क्र०. 1428/2013 इ०फौ०  
से उदभूत यह सत्र प्रकरण क्र० 300/2013

शासन द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री दीवान सिंह गुर्जर।  
अभियुक्त की ओर से श्री कमलेश शर्मा अधिवक्ता।

//नि र्ण य//

//आज दिनांक 11-12-2015 को घोषित किया गया//

01. आरोपी का विचारण धारा 363, 366 भा०दं०वि० के आरोप के संबंध में किया जा रहा है। उस पर आरोप है कि दिनांक 17.04.2013 को एक बजे दिन या उसके करीब ग्राम बिलोनी थाना एण्डोरी क्षेत्र से धनीराम माहौर की पुत्री अभियोक्त्री जो कि 18 वर्ष से कम उम्र की अप्राप्तव्य लडकी है उसे उसकी विधिपूर्ण संरक्षक पिता धनीराम की संरक्षकता से उनकी सम्मति के बिना ले जाकर/बहलाकर ले जाकर उसका व्यपहरण किया। उस पर यह भी आरोप है कि अप्राप्तव्य अभियोक्त्री को विवाह करने के लिए विवश करने के आशय से या यह जानते हुए कि उसे अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध किया जाएगा उसका व्यपहरण किया।

02. अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से है कि फरियादी धनीराम माहौर निवासी ग्राम विलोनी थाना एण्डोरी दिनांक 17.04.2013 को अपनी पत्नी गुड्डी बाई के साथ सुबह खेत में गेहूँ काटने के लिए चला गया था, घर पर उसके दो लड़के मुकेश, विकास और लडकी/अभियोक्त्री जो कि 16 साल की थीं रह गए थे। जब वह दोपहर एक बजे खेत से घर आया तो उसकी लडकी घर पर नहीं मिली, उसने अपने लड़के से पूछा तो लड़कों ने बताया कि वह एक लड़के के साथ चली गई है। फिर उसके संबंध में पता किया तो लडकी ग्राम खरेटा (मडैयन) थाना अम्बाह जिसका नाम दीपू माहौर है के साथ चली गई। करीब दो बजे होकिम निवासी खरेटा का फोन उसके मोबाइल पर आया और बताया कि लडकी अम्बाह में है। उसके आधे घण्टे के बाद फोन आया कि मुरैना की तरफ निकल गए हैं। फिर वह अपनी पत्नी के साथ बड़ागांव पहुँचा उसे हाकिमसिंह मिला था और बताया था कि परेशान मत हो दो-तीन घण्टे में पता चल जाएगा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला तो वह हाकिम दीपू के घर गए, उसकी माँ से पूछा तो कोई पता नहीं चला फिर थाना एण्डोरी पर सूचना दी। जिस पर गुमइंसान सूचना प्र.पी. 1 लेखबद्ध किया गया। गुमइंसान सूचना की जाँच की गई, जाँच के दौरान दिनांक 28.05.2013 को अभियोक्त्री की दस्तयावी थाना एण्डोरी में की गई। प्रकरण की विवेचना आगे की गई, विवेचना के दौरान अभियोक्त्री के जन्म के संबंध में स्कूल के भर्ती रहजिस्टर की प्रति प्राप्त की गई, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए, आरोपी को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण सम्पूर्ण विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरुद्ध अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया जो कि कमिट उपरांत माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार विचारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

03. विचारित किए जा रहे आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टिया धारा 363, 366 भा0दं0वि0 का आरोप पाया जाने से आरोप लगाकर पढ़कर सुनाया समझाया गया। आरोपी ने जुर्म अस्वीकार किया उसकी प्ली लेखबद्ध की गई।

04. दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त परीक्षण में आरोपी ने स्वयं को निर्दोश होना बताते हुए व्यक्त किया कि अभियोक्त्री के पिता ने उसके साथ अभियोक्त्री की सगाई तय कर दी थी फिर पैसों के लालच में अन्य जगह लडकी का रिस्ता करना चाहते थे, लडकी दूसरी जगह शादी करने को तैयार नहीं थी। इस कारण उसे रंजिशन झूठा फंसाया गया है।

05. आरोपीगण के विरुद्ध आरोपित अपराध के संबंध में विचारणीय यह है कि:-

1. क्या दिनांक 17.04.2013 को एक बजे दिन या उसके करीब ग्राम विलोनी थाना

एण्डोरी क्षेत्र से धनीराम माहौर की पुत्री अभियोक्त्री जो कि 18 वर्ष से कम उम्र की अप्राप्तव्य लडकी है उसे उसकी विधिपूर्ण संरक्षक पिता धनीराम की संरक्षिता से उनकी सम्मति के बिना ले जाकर/बहलाकर ले जाकर उसका व्यपहरण किया?

2. क्या उक्त अभियोक्त्री का व्यपहरण उससे अयुक्त संभोग करने/विवाह करने हेतु विवश या बिलुब्ध करने या यह जानते हुए कि उसे अयुक्त संभोग करने/विवाह करने हेतु विवश या बिलुब्ध किया जाएगा, उसका व्यपहरण किया गया?

### —: सकारण निष्कर्ष:—

बिन्दु क्रमांक 01 व 02 :-

06. परस्पर जुड़े होने एवं साक्ष्य विवेचना की पुनरावृत्ति से बचने के लिए सभी विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

07. धारा 363 भा०दं०वि० जो कि भारत से या विधिपूर्ण संरक्षकता से किसी व्यक्ति के व्यवहरण के संबंध में दण्ड का प्रावधान करता है। विधिपूर्ण संरक्षकता से व्यवहरण को धारा 361 भा०दं०वि० के अंतर्गत परिभाषित किया गया है जिसके अनुसार:- "किसी अप्राप्तव्य को यदि वह नर हो तो 16 वर्ष से कम आयु वाले को और यदि वह नारी हो तो 18 वर्ष से कम आयु वाले को या विकृतचित्त व्यक्ति को। विधिपूर्ण संरक्षकता से ऐसे संरक्षक की सम्मति के बिना ले जाया जाता है या बहलाकर ले जाया जाता है।" धारा 366 भा०दं०वि० के अपराध की प्रमाणिकता हेतु किसी स्त्री का व्यपहरण या अपहरण उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी व्यक्ति से विवाह करने के लिए विवश करने के आशय से या विवश करने अथवा समभाव्य जानते हुए कि उसे अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या बिलुब्ध किया जा सकता है।

08. इस प्रकार व्यवहरण का अपराध प्रमाणित करने के लिए सर्वप्रथम अभियोजन को यह प्रमाणित करना होता है कि जिस अप्राप्तव्य का व्यपहरण किया जाना बताया जा रहा है वह महिला होने की दशा में 18 वर्ष से कम उम्र की हो एवं इस तथ्य को भी प्रमाणित करना होता है कि उस अप्राप्तव्य को उसकी विधिपूर्ण संरक्षकता से ले जाया गया है या उसे बहला फुसलाकर ले जाया गया है। जबकि धारा 366 भा०दं०वि० को प्रमाणित करने हेतु विवाह करने के लिए अथवा अयुक्त संभोग करने के लिए विवश व बिलुब्ध किया जाना प्रमाणित कराना आवश्यक है।

09. सर्वप्रथम अभियोक्त्री की उम्र का जहाँ तक प्रश्न है। इस संबंध में घटना की

गुमइंसान रिपोर्ट प्र.पी. 1 में अभियोक्त्री की उम्र 17 वर्ष की होना उल्लेखित की गई है। दस्तयावी पंचनामा जैसा कि अभियोजन के द्वारा अभियोक्त्री को दस्तयाव किया जाना बताया गया है, उसमें भी उसकी उम्र 17 साल होने का उल्लेख किया गया है, लेकिन अभियोक्त्री की जन्मतिथि के संबंध में कोई जन्मप्रमाणपत्र पेश नहीं किया गया है, जिससे कि उसकी वास्तविक जन्मतिथि पता चल सके। अभियोक्त्री के पिता धनीराम अ0सा0 2 के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में मुख्य परीक्षण में उसकी बच्ची की उम्र कितनी थी ऐसा कहीं नहीं बताया गया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने घटना के समय उसकी लडकी की उम्र 18 साल की होनी बताई है। इस बिन्दु पर अभियोक्त्री की माँ गुड्डी बाई अ0सा0 3 के द्वारा घटना के समय उसकी लडकी /अभियोक्त्री की उम्र 17 साल की होनी बताई है। प्रतिपरीक्षण में उसके द्वारा बताया गया है कि लडकी की उम्र 17 साल की होना अंदाज से लिखाई है। लडकी का जन्म किस समय पर हुआ था उसे मालुम नहीं है। जिस समय उसकी लडकी गई थी उस समय वह अंदाज से 18 साल की भी हो सकती है। इस प्रकार अभियोक्त्री के माता पिता के मौखिक साक्ष्य के आधार पर अभियोक्त्री की कोई निश्चित उम्र निर्धारित नहीं की जा सकती है और इस आधार पर उसे 18 वर्ष से कम उम्र की होना अभिधारित नहीं की जा सकती है।

10. अभियोजन के द्वारा अभियोक्त्री की उम्र के संबंध में मुख्य रूप से उसके विद्यालय में प्रवेश के संबंध में भर्ती रजिस्टर पेश किया गया है जिसके आधार पर उसकी उम्र 18 वर्ष से कम होनी बताई जा रही है। इस बिन्दु पर अभियोजन के द्वारा साक्षी पवन कुमार शर्मा अ0सा0 5 प्रभारी प्रधानाध्यापक शासकीय प्राथमिक विद्यालय वेसपुरा तहसील गोहद के कथन कराए गए हैं, जिन्होंने कि अपने अभिलेख के आधार पर बताया है कि अभियोक्त्री दिनांक 29.10.2002 में प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 में शिक्षण हेतु भर्ती हुई थी। उसकी जन्म तिथि भर्ती रजिस्टर में 10.07.1996 अंकित है। रजिस्टर की छायाप्रति प्र.सी. 1 पेश की गई है।

11. उपरोक्त संबंध में शासकीय प्राथमिक विद्यालय वेसपुरा के प्रभारी प्रचार्य पवन कुमार शर्मा अ0सा0 5 के कथन का जहाँ तक प्रश्न है, उनके द्वारा प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि अभियोक्त्री की भर्ती रजिस्टर में प्रविष्टि उनके सामने नहीं हुई है और न ही उनकी जानकारी में हुई है और वह यह नहीं बता सकता है कि भर्ती रजिस्टर में उसकी जन्म तिथि किस आधार पर लिखाई गई है। भर्ती रजिस्टर में जन्मतिथि की प्रविष्टि का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में प्रविष्टि को अंकित करने वाले अध्यापक जिनके समक्ष प्रविष्टि की गई है वही इस संबंध में सर्वोत्तम साक्षी हो सकता है और उन्हीं के द्वारा यह बताया जा सकता है कि किस आधार पर प्रविष्टि की गई है। साक्षी पवन कुमार शर्मा अ0सा0 5 का जहाँ तक प्रश्न है उक्त साक्षी के द्वारा न तो उक्त प्रविष्टि की गई है और न ही उनके समक्ष उक्त प्रविष्टि



हुई है, जैसा कि उन्होंने कथन में स्वीकार किया है।

12. अभियोक्त्री को प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश कराने के लिए कौन आया था एवं किस के द्वारा उसकी प्रविष्टि कराई गई है ऐसा कहीं भी नहीं बताया गया है। इस संबंध में अभियोक्त्री के पिता धनीराम अ०सा० 2 और माँ गुड्डी बाई अ०सा० 3 उसे विद्यालय में प्रवेश कराने हेतु गए हों और उनके द्वारा उसकी जन्मतिथि अंकित कराई गई है ऐसा कहीं भी उनके द्वारा अपने साक्ष्य कथन में नहीं बताया गया है। इस आधार पर जबकि लड़की के अभिभावकों के द्वारा भी उसका स्कूल में दाखिला करने हेतु जाने और उसकी जन्मतिथि अंकित कराने के संबंध में अपने साक्ष्य कथन में कोई बात नहीं बताई है और न ही अध्यापक जिनका कि कथन अभियोजन करा रहा है उनके द्वारा उक्त प्रविष्टि की गई है और इस संबंध में अभियोक्त्री के पिता धनीराम अ०सा० 2 उसकी उम्र घटना के समय 18 साल की होनी बता रहा है और माँ गुड्डी बाई उसकी अंदाज से 17 साल की उम्र लिखाना बता रही है और यह बता रही है कि उसकी उम्र 18 साल की भी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अभियोक्त्री के द्वारा भी अपने मुख्य परीक्षण में बताया गया है कि स्कूल की अंकसूची में उसकी उम्र कम लिखी हुई है और वर्तमान में उसके द्वारा अपनी उम्र 20 वर्ष की होनी बताई गई जो कि घटना एक साल पहले की है। इस प्रकार विद्यालय के भर्ती रजिस्टर के आधार पर अभियोक्त्री की जन्मतिथि सही होनी मानते हुए इस आधार पर उसे घटना के समय 18 वर्ष से कम उम्र की होना अवधारित नहीं किया जा सकता है।

13. यह भी उल्लेखनीय है कि अभियोक्त्री की उम्र के संबंध में अभियोजन के द्वारा कोई भी वैज्ञानिक परीक्षण उसकी उम्र जाँच बावत् नहीं कराया गया है। निश्चित तौर से जबकि अभियोक्त्री की उम्र के संबंध में विवाद है और उसकी घटना के समय 17 साल की उम्र होनी बताई गई है। इस संबंध में अभियोक्त्री की उम्र की जाँच वैज्ञानिक परीक्षण से कराई जा सकती थी जिससे कि उसकी वास्तविक उम्र निर्धारित की जा सके। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर घटना के समय अभियोक्त्री की उम्र 18 वर्ष से कम होने का तथ्य युक्तियुक्त रूप से प्रमाणित नहीं हुई है, बल्कि अभियोक्त्री के स्वयं के कथन और इस संबंध में उसके पिता धनीराम अ०सा० 2 और गुड्डी बाई अ०सा० 3 के कथन के परिप्रेक्ष्य में अभियोक्त्री घटना के समय 18 वर्ष से कम की होनी नहीं पाई जाती है।

14. अभियोक्त्री के व्यपहरण/अपहरण होने एवं उसके विवाह करने/अयुक्त संभोग करने के लिए विवश करने के लिए ले जाने का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में साक्षी धनीराम अ०सा० 2 जो कि अभियोक्त्री का पिता है के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में बताया है कि करीब 1 साल पहले की बात है वह और उसकी पत्नी काम पर गई थे, घर पर उसका लड़का

मुकेश और अभियोक्त्री थी। उसके लडके मुकेश ने उन्हें बताया कि अभियोक्त्री चली गई है जो कि आरोपी दीपू मोटरसाइकिल पर बैठा कर उसे ले गया है। उसने पुलिस को सूचना दी थी जो गुम इंसान सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 1 है जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस को उसने आवेदन भी दिया था जो प्र.पी. 2 है जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसके सामने पुलिस ने दस्तयावी पंचनामा बनाया था जो प्र.पी. 3 है। लडकी को आरोपी दीपू के रिस्तदारों ने थाने पर हाजिर किया था। इस बिन्दु पर साक्षी गुड्डी बाई अ0सा0 3 के द्वारा भी फरियादी धनीराम के कथन का समर्थन करते हुए बताया है कि घटना दिनांक को गेहूँ की कटाई करने के लिए वह और उसका पति गये थे और वह घर पर अपने पुत्र एवं अभियोक्त्री को छोड़कर चले गए थे, जब 10-11 बजे घर लौटकर आए तो अभियोक्त्री नहीं मिली, लडके मुकेश ने बताया कि वह एक लडके के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर चली गई है। उसको हाकिम ने बताया था कि खरेटा का दीपू अभियोक्त्री को ले गया है।

15. इस प्रकार फरियादी धनीराम अ0सा0 2 एवं गुड्डी बाई अ0सा0 3 के कथन से स्पष्ट है कि उक्त दोनों साक्षी जब अभियोक्त्री को घर से जाना बता रहे हैं उस समय घर पर मौजूद नहीं थे। इस संबंध में साक्षी धनीराम अ0सा0 2 के द्वारा प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि घटना दिनांक को सिहोनिया गांव में मेला लगा हुआ था और इस बात को भी स्वीकार किया है कि मेला में उसकी लडकी चली गई थी और इस बात को भी स्वीकार किया है कि लडकी मेला से गई थी घर से नहीं गई थी। इस बिन्दु पर यह उल्लेखनीय है कि गुमशुदी रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख है कि लडकी अपनी मर्जी से दीपू के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर कहीं चली गई है, जबकि साक्षी धनीराम उक्त बात गुमसुदगी सूचना प्र.पी. 1 में लिखाने से इन्कार कर रहा है। इसी प्रकार साक्षी गुड्डी बाई अ0सा0 3 भी प्रतिपरीक्षण में स्वीकार की है कि जिस दिन लडकी गायब हुई थी उस दिन सिहोनिया में मेला लगा था और इस बात को भी स्वीकार की है कि लडकी उस दिन मेला देखने के लिए गई थी और मेले से ही गायब हुई थी। उसकी लडकी मेले से ही मोटरसाइकिल में बैठकर गई थी। साक्षी ने पुलिस को यह बात कि लडकी घर से मोटरसाइकिल में बैठकर गई थी बताने से इन्कार किया है।

16. उपरोक्त बिन्दु पर साक्षी मुकेश अ0सा0 4 जो कि घटना के समय अभियोक्त्री के साथ मौजूद होना तथा जिसके द्वारा अपने माता पिता को अभियोक्त्री के ले जाने के संबंध में बताया गया है। साक्षी मुकेश अ0सा0 4 के द्वारा यह बताया गया कि वह अपनी बहन के साथ सिहोनिया मेले में गया था, उसका भाई भी साथ में था। वह माता पर प्रसाद चढ़ाने गया

था उसी समय उसकी बहन कहीं चली गई थी। इस प्रकार उक्त साक्षी के द्वारा अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन नहीं किया गया है। साक्षी को अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, किन्तु इस दौरान साक्षी ने साफतौर से इन्कार किया है कि आरोपी दीपू उसकी बहन को मोटरसाइकिल पर बैठा कर ले गया है। सूचक प्रश्नों के दौरान उनके कथनों में अभियोजन प्रकरण की किसी भी प्रकार से समर्थन या पुष्टि नहीं हुई है। ऐसी दशा में जबकि वर्तमान साक्षी घटना का मुख्य साक्षी है उसके द्वारा न तो आरोपी को अपनी बहन को ले जाते हुए देखा जाना बताया गया है और न ही अपने माता पिता को इस संबंध में कोई बात उसके द्वारा बताई गई है। इस परिप्रेक्ष्य में साक्षी के कथन के आधार पर आरोपी के द्वारा अभियोक्त्री को ले जाने का कोई समर्थन या पुष्टि नहीं होती है।

17. निश्चित तौर से घटना जो कि फरियादी धनीराम के मकान ग्राम बिलोनी थाना एण्डोरी की होना बताई जा रही है और वही से लडकी को कथित रूप से आरोपी के द्वारा ले जाया जाना बताया जा रहा है, किन्तु इस संबंध में फरियादी धनीराम अ0सा0 2 एवं गुड्डीबाई अ0सा0 3 के कथन में घटना सिहोनिया के मेले की होनी बताई जा रही है जो कि सिहोनिया जिला मुरैना में स्थित है। इस प्रकार अभियोक्त्री को ले जाने का स्थान जो कि गुम इंसान सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 1 एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 7 में वर्णित है उसकी पुष्टि नहीं होती है। इस संबंध में घटना का मुख्य साक्षी मुकेश अ0सा0 4 के कथनों से भी अभियोजन प्रकरण की किसी प्रकार से कोई सम्पुष्टि नहीं होती है।

18. उपरोक्त बिन्दु पर साक्षी अभियोक्त्री अ0सा0 1 का कथन भी महत्वपूर्ण है जिसके द्वारा अपने कथन में बताया गया है कि उसके पिता ने उसकी सगाई आरोपी दीपू उर्फ राजकुमार के साथ कर दी थी। उसकी आरोपी से बातचीत होती रहती थी, क्योंकि उसकी सगाई हो चुकी थी। उसने आरोपी से मेले में आने के लिए बोला था और कहा था कि तिराहे पर मिलो तब आरोपी ने मना भी किया था तो उसने जिद की थी कि उसे ले चलो, वह उसके साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर गई थी। प्रतिपरीक्षण में उसने बताया है कि उसका पिता आरोपी से उसका संबंध खत्म कर दूसरी जगह उसकी सगाई करना चाहता था और वह चाहती था कि आरोपी दीपू से ही विवाह करे, इस बात पर उसकी माता पिता उसकी मारपीट करते थे और इसी कारण उसने आरोपी दीपू को मेले में बुलाया और उसके साथ चली गई। आरोपी उसे सिकी प्रकार से बहला फुसलाकर या जोर जबरदस्ती नहीं ले गया था, वह अपनी मर्जी से गई थी। आरोपी के द्वारा विवाह करने हेतु उस पर कोई दबाव भी नहीं बनाया गया था। अभियोक्त्री के उक्त कथन की पुष्टि उसकी माँ गुड्डी बाई के प्रतिपरीक्षण में आए हुए कथन से भी होती है जिसके द्वारा स्वीकार किया है कि लडकी चाहती थी कि दीपू के साथ



उसकी शादी हो जाए और इस बात को भी स्वीकार की है कि लडकी आरोपी दीपू के साथ अपनी मर्जी से गई थी और इस बात को भी स्वीकार की है कि लडकी उनके साथ रहने को तैयार नहीं है वह दीपू के साथ ही रहना चाहती है।

19. प्रकरण में अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत शेष साक्षी एस.एस.तोमर अ0सा0 7 जिनके द्वारा घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई है, साक्षी मुंशीलाल अ0सा0 6 जिन्होंने फरियादी धनीराम एवं साक्षी गुड्डीबाई एवं अभियोक्त्री के कथन लेखबद्ध किये गए हैं। इस संबंध में अभियोक्त्री के कथनों में कहीं भी आरोपी के द्वारा उसे ले जाने अथवा बहला फुसलाकर ले जाने बावत कोई तथ्य नहीं आया है। साक्षी हरेन्द्रसिंह व्यास अ0सा0 7 जिनके द्वारा गुमसुदगी रिपोर्ट दर्ज की गई है एवं साक्षी नायकसिंह अ0सा0 8 जिनके द्वारा लडकी की दस्तयावी की गई है। उक्त साक्षीगण के कथन के आधार पर अभियोजन प्रकरण की कोई प्रामाणिकता किसी प्रकार से सिद्ध होनी नहीं मानी जा सकती है।

20. इस प्रकार प्रकरण में आई हुई समग्र अभियोजन साक्ष्य के आधार पर सर्वप्रथम यह प्रमाणित नहीं पाया गया है कि घटना के समय अभियोक्त्री 18 वर्ष से कम उम्र की थी। इसके अतिरिक्त आरोपी के द्वारा अभियोक्त्री को ले जाने या बहकाकर ले जाने के संबंध में भी अभियोजन साक्ष्य के आधार पर अभियोजन प्रकरण की सम्पुष्टि नहीं होती है, बल्कि समग्र साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अभियोक्त्री अपनी मर्जी से आरोपी के साथ गई थी। यह भी उल्लेखनीय है कि आरोपी के साथ उसकी शादी भी हो चुकी है और वह वर्तमान में आरोपी के साथ ही रह रही है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा **बरधराजन वि0 स्टेट ए.आई.आर. 1965 एस.सी. 2942** में स्पष्ट रूप से यह अवधारित किया है कि यदि अभियोक्त्री 18 वर्ष से कम की उम्र की है और वह अपना भला बुरा समझने में सक्षम है और अपनी इच्छा से वह आरोपी के साथ गई है तो ऐसी दशा में व्यपहरण का अपराध नहीं बनता है।

21. आरोपी के द्वारा अभियोक्त्री का व्यपहरण/अपहरण किये जाने का तथ्य प्रमाणित नहीं है। ऐसी दशा में आरोपी के द्वारा अभियोक्त्री का व्यपहरण/अपहरण उसको अयुक्त संभोग करने हेतु विवश या विलुब्ध किये जाने अथवा उसे विवाह करने हेतु विवश करने हेतु किये जाने का तथ्य भी प्रकरण में आई हुई साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित नहीं होता है।

22. उपरोक्त विवेचना एवं विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में आई हुई समग्र अभियोजन साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में अभियोजन का प्रकरण आरोपी के विरुद्ध विचारित किये जा रहे आरोपों के संबंध में कदापि युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं पाया जाता है।



आरोपी के द्वारा अभियोक्त्री का व्यपहरण अथवा अपहरण किया जाना प्रमाणित नहीं है तथा न ही उसके द्वारा अभियोक्त्री को अयुक्त संभोग करने हेतु विवश या विलुब्ध करने या उसके विवाह करने हेतु विवश करने हेतु उसका अपहरण/व्यपहरण किये जाने का तथ्य प्रमाणित नहीं है।

23. अतः अभियोजन का प्रकरण आरोपी दीपू उर्फ राजकुमार के विरुद्ध युक्तियुक्त प्रमाणित होना न पाते हुए आरोपी को धारा 363, 366 भा०द०वि० के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित  
हस्ताक्षरित एवं घोषित किया गया ।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी०सी०थपलियाल)  
अपर सत्र न्यायाधीश  
गोहद, जिला भिण्ड

(डी०सी०थपलियाल)  
अपर सत्र न्यायाधीश  
गोहद, जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)